संख्या– 537 /XV–1/1(24)/05

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2009

विषयः– राज्य पशुचिकित्सा परिषद् का गठन योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3631/नि०–5/आय–व्ययक/08–09 दिनांक 18 मार्च, 2009 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में आयोजनागत योजना के अर्न्तगत **कुल रूपया 91 हजार (रुपया इकानब्बे हजार मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति संलग्न पुनर्विनियोग विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन अवश्य किया जाय।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को प्रपत्र बी0 एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रुप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों का पालन कर किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–101–पशुचिकित्सा संबंधी सेवायें तथा पशु पशु स्वास्थ्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन (50 प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजनान्तर्गत के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा संलग्नक बी0एम0–15 के कॉलम संख्या–1 में दर्शायी गई मदों की बचत से वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–381 (P)/XXVII–4/2009 दिनांक 24 मार्च, 2009 में जारी उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नक–उक्तानुसार बी0एम0–15

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 537 (1)/XV–1/2009–तददिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त महोदय को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. रजिस्ट्रार, राज्य पशुचिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
10. वित्त, अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
11. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

व्ययक प्रपत्र–15 आयोजनागत से आयोजनागत मद में पुनर्विनियोग वर्ष 2008–09

अनुदान संख्या–28

प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी–अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गोपेश्वर, उत्तराखण्ड

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक/आवंटित धनराशि का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखा शीर्षक एवं मद जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पुर्नविनियोग बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
लेखा शीर्षक–2403 – पशुपालन आयोजनागत –00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–01 –केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधनित योजनाएं –0101–राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन(50 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–				लेखा शीर्षक–2403 – पशुपालन आयोजनागत –00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–01 –केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधनित योजनाएं –0101–राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का गठन (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–			उत्तराखण्ड राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में कार्यरत कार्मिकों के वेतन/अवशेष वेतन में धनराशि की कमी होने पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रस्तुत है।
03–महगाई भत्ता 380				01–वेतन 91			
06–अन्य भत्ता 96	352	354	26		953	354	
48–महगाई वेतन 264	90	90	06			90	
	205	205	59			205	
योगः– रू 740	647	649	91	91	953	649	

(रूपया इकानब्बे हजार मात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नही होता है।

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

Ram (BM 13)

उत्तराखण्ड शासन
संख्या–381 (A)/वित्त अनुभाग–4/2009
देहरादून : दिनांक 24 मार्च, 2009

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(~~अर्जुन सिंह~~)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्या– (1)/XV–1/2009 दिनांक मार्च, 2009

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।